

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई 2005 – श्रावण 7, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग जी. ई. रोड, सिविल लाईन, रायपुर-492 001 (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई, 2005

क्रमांक 10/सीएसईआरसी/विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 42 की उप धारा 5,6,7 सहपठित धारा 181 की उप धारा 2, (आर) एवं (एस) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण और फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम-2004, बनाया हैं जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 15 फरवरी 2005 को प्रकाशित किया गया है।

इसी बीच केन्द्र शासन के ऊर्जा मंत्रालय ने अपने अधिसूचना क्र. जी.एस.आर. 379 (ई) दिनांक 8 जून 2005 द्वारा विद्युत नियम, 2005 अधिसूचीत किया है जिसका नियम 7 उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम एवं लोकपाल से सम्बन्धित है। केन्द्र शासन द्वारा बनाये गये नियमों के परिप्रेक्ष में आयोग द्वारा बनाये गये उपरोक्त विनियम का संशोधन आवश्यक हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग उपरोक्त विनियम के कण्डिका 74 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण और फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम-2004 में संशोधन हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :**

- (i) इस विनियम को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण और फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2005 कहा जावेगा ।
- (ii) यह विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होगा ।

2. **परिभाषा :**

- (ए) "मूल विनियम" का तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण और फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम -2004 है ।
- (बी) यहां इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो कि मूल विनियम में है ।

3. **विनियम 14 का संशोधन :**

मूल विनियम का विनियम 14, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"फोरम में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियुक्त किये गये दो सदस्य होंगे जो कि अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारी होंगे जिनमें पुर्ननियुक्त अधिकारी भी हो सकते हैं। फोरम की संरचना निम्नानुसार होगी :-

- (ए) अनुज्ञप्तिधारी का अधिकारी जो अधीक्षण अभियंता से कम स्तर का न हो और विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक हो एवं जिसे अधीक्षण अभियंता या उससे उच्च पद पर विद्युत वितरण के क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम बीस वर्ष का अनुभव हो ।
- (बी) अनुज्ञप्तिधारी का अधिकारी जो संयुक्त निदेशक, वित्त/लेखा या वरिष्ठ लेखाधिकारी से कम स्तर का न हो और जिसे कम से कम दस वर्ष का वित्त के क्षेत्र में वित्त/लेखा प्रभाग में कार्य करने का अनुभव हो एवं संयुक्त निदेशक, वित्त/लेखा या वरिष्ठ लेखाधिकारी या किसी अन्य वरिष्ठ पद पर कम से कम पाँच वर्ष कार्य किया हो ।

उपरोक्त (ए) का सदस्य फोरम का अध्यक्ष होगा।"

4. **विनियम 52 का संशोधन :**

मूल विनियम का विनियम 52, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"विद्युत लोकपाल इस संबंध में उपभोक्ता की शिकायतों का निपटारा करने के पूर्व अधिनियम के उपबंधों, इसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों अथवा राज्य सरकार या आयोग द्वारा दिये गये सामान्य आदेशों अथवा निर्देशों पर विचार करेगा। "

5. **विनियम 76 का संशोधन :**

अनुज्ञप्तिधारी और आयोग को रिपोर्ट शीर्षक एवं मूल विनियम का विनियम 76 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है : –

“76. लोकपाल का प्रतिवेदन :

- (ए) विद्युत लोकपाल अपने द्वारा निपटाये जाने वाली उपभोक्ता की शिकायतों की प्रकृति, शिकायतों के निवारण में लाईसेंसधारी के प्रत्युत्तर और पिछले छः महीनों के दौरान अधिनियम की धारा 57 के अधीन आयोग द्वारा यथा निर्दिष्ट कार्य निष्पादन के मानकों का, लाईसेंसधारी की अनुपालन पर लोकपाल की राय का ब्यौरा देते हुए छःमाही आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (बी) उपरोक्त विनियम 76(ए) के अधीन रिपोर्ट छः महीने की संगत अवधि की समाप्ति के बाद 45 दिनों के भीतर आयोग और राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी।”

आयोग के आदेशानुसार

**(अजय श्रीवास्तव)
उप सचिव**